YW-ANC/CM/25/2021-VI-4-Youth Welfare Department
274326/2024/Youth Welfare Section
I/197712/2024

संख्या–　　/VI-4/2024–59(21)21

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग　　देहरादून दिनांक : मार्च, 2024

विषय :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–1012/2021 ''विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हाईटेक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जायेगी'' के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2452/दो–लेखा/मि0स्टे0/2023–24 दिनांक 05.03.2024 के सन्दर्भ में उपरोक्त मिनी स्टेडियम निर्माण किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (खेल) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 99.50 लाख (निर्माण कार्य हेतु रू0 98.37 लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली रू0 1.13 लाख) के सापेक्ष 40 प्रतिशत की दर से शासनादेश संख्या–25/VI-4/2022–59(21)21 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 39.80 लाख एवं शासनादेश संख्या–518/VI-4/2022–59(21)21 दिनांक 29.11.2022 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख मात्र की धनराशि अवमुक्त किये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 9.70 लाख (रू0 नौ लाख सत्तर हजार) को अन्तिम किश्त के रूप में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/9(150)2019/XXVII(1)/2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. कार्ययोजना पर मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय एवं बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का धनावंटन कार्यदायी संस्था के साथ नियमानुसार सम्पादित एम0ओ0यू0 में वर्णित अवधि में कार्य पूर्ण कराया जाये।

3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त नियमानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को देखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को नियमानुसार सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन एवं वित्त विभाग को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

7. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

8. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर

private:stream

पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

9. उक्त कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक, पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम (खेल) उत्तराखण्ड, देहरादून/निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

10. निर्माण कार्यो हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में करायी गयी डिजाइन/मानक–पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्यो हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

11. उक्त भूमि पर निर्माण अपने देख–रेख में निर्धारित मानकों के आधार पर पूर्ण कराया जायेगा। किसी प्रकार की अनियमिततायें एवं मानक के विपरीत पाये जाने की स्थिति में निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/73259/2022 दिनांक 03.11.2022 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज को कार्यदायी संस्था से राजकोष में जमा करवाते हुए उक्त की सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाएगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा–102–खेलकूद स्टेडियम–15–ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम–53–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

Signed by Amit Kumar Sinha
Date: 12-03-2024 13:35:40

(अमित कुमार सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या /VI-4/2024–59(21)21, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. परियोजना प्रबन्धक, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (खेल), उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

Signed by Jitendra Kumar Sonkar
Date: 12-03-2024 14:07:21

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव

private:stream